

नोडल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक) हल्द्वानी

मैनुअल-5

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक) हल्द्वानी एवं जनपद के अधीनस्थ संस्थानों एवं शिशिक्षु प्रशिक्षण के कृत्यों के निर्वह के लिए निम्न निर्देशों/अधिनियमों का अनुपालन किया जाता है।:

1. क्राफ्टसमैन ट्रेनिंग :- इस योजना के जनपद नैनीताल में 10 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। इन संस्थानों में प्रवेश , प्रशिक्षण व्यवस्था, संबंधन ,अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा , कर्मचारियों/अधिकारियों के कृत्य, भारत सरकार व्यावसायिक प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद द्वारा ट्रेनिंग मैनुअल के अनुरूप किया जाता है।
2. शिशिक्षु प्रशिक्षण:- शिशिक्षु अधिनियम 1961 के अधीन शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना का कार्यन्वयन जनपद नैनीताल में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान युवक हल्द्वानी द्वारा किया जाता है। कार्यन्वयन के लिए शिशिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत गठित केन्द्रीय शिशिक्षु परिषद द्वारा शिशिक्षु नियमावली तैयार की गयी है। जिसके अनुसार शिशिक्षु नियोजन हेतु नियोजकों का विवरण माइनर कोड/मेजर कोड शिशिक्षु सुविधाओं के सर्वेक्षण हेतु कुशल कर्मचारियों का अनुपात, शिशिक्षु नियुक्ति हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं प्राविधिक योग्यताओं का निर्धारण अखिल भारतीय शिशिक्षु परिषद की प्रक्रिया नियत की गयी है।
3. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं विभागीय कर्मचारियों के प्रशासकीय व्यवस्था हेतु शासन द्वारा निर्धारित वित्तीय नियम खण्ड-2 भाग-2 से 4, शासनादेश संग्रह का अनुपालन किया जाता है।
4. वित्तीय व्यवस्थाओं के लिए वित्तीय नियम संग्रह भाग-5 खण्ड-1, भविष्य निधि, यात्रा भत्ता नियमावली का पालन किया जाता है।
5. कर्मचारियों की सेवा संबंधी प्रकरणों के लिए राज्य प्रशिक्षण सेवा नियमावली, नुदेशक नियमावली समूह " ग " भर्ती नियमावली का पालन किया जाता है।